भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3125

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

राजमार्ग संबंधी रखरखाव का उत्तरदायित्व

†3125. श्री शफी परम्बिल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन का ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के निर्माण के लिए कुल कितनी निधि आबंटित की गई हैं;

(ग) उक्त राजमार्ग के निर्माण के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) राज्य में उक्त राजमार्ग के निर्माण और रखरखाव में केरल राज्य सरकार की क्या भूमिका है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और अनुरक्षण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का कार्य विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों, जैसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)/सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी)/ निगमों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केरल राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए मंजूरी और अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, निर्माण-पूर्व कार्यकलापों आदि को सुगम्य बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।

सरकार ने केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के निर्माण के लिए 63,111 करोड़ रू की लागत से 632 किलोमीटर लंबाई संबंधी कार्यों को मंज़ूरी दी है। इसमें से 40,216 करोड़ रू पहले ही व्यय हो चुका है।

केरल राज्य सरकार ने एनएच-66 के निर्माण के लिए कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई है। तथापि, केरल राज्य सरकार ने केरल राज्य में एनएच-66 पर विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण (एलए) लागत का 25% हिस्सा, अर्थात् 7,117 करोड़ रू का अंशदान दिया है।

*****